



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

- आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही: ज्वेलरी दुकानों में चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 05 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद चोरी के आभूषण खरीदने वाले 02 सोनार भी गिरफ्तार।
- अन्तर्राज्यीय चोर गिरोह से चोरी के आभूषण खरीदने वाले 02 सोनार गिरफ्तार।
- गिरफ्तार सोनारों के कब्जे से चोरी की 04 चांदी की पायल बरामद, चोरी के माल की खरीद-फरोख्त में संलिप्त अन्य कड़ियों की जांच जारी।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 24/25.09.2026 की रात्रि थाना निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत फरिहा चौक स्थित ओम ज्वेलर्स का शटर तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण एवं ₹60,000/- नकद चोरी कर लिए गए थे। इस संबंध में थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 240/2026 धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उक्त घटना के अनावरण हेतु की जा रही कार्रवाई के क्रम में दिनांक 16.10.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा दो थाना (तरवां व निजामाबाद) क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 05 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से लगभग 9.3 किलोग्राम चांदी के आभूषण, अवैध असलहे-कारतूस, चोरी में प्रयुक्त उपकरण तथा चोरी के आभूषण बेचकर प्राप्त धनराशि से खरीदी गई बिना नम्बर प्लेट की अर्टिगा कार बरामद हुई थी। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में चोरी के आभूषण खरीदने वाले सोनारों के नाम प्रकाश में आए थे।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.10.2026 को निरीक्षक जयप्रकाश यादव एवं उ0नि0 चिरांशु मिश्रा मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के आभूषण खरीदने वाले दोनों सोनार मोहम्मदपुर नहर पुलिया के पास मौजूद हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दोनों अभियुक्त भागने लगे, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा दौड़ाकर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से चोरी की 04 चांदी की पायल बरामद हुई।

पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को दिनांक 17.10.2026 को समय करीब 11:10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान ओम प्रकाश खत्री पुत्र दीनानाथ खत्री निवासी धुंधी कटरा, थाना कोतवाली शहर, जनपद मिर्जापुर, उम्र करीब 46 वर्ष तथा आशीष सोनी पुत्र सुरेश सोनी निवासी कोरांव, थाना कोरांव, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 27 वर्ष के रूप में हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि सुनील पुत्र छोटक निवासी तेन्दुआ खुर्द, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर उनके यहां चोरी के आभूषण बेचता था। लगभग 15 दिन पूर्व भी उसने चोरी के आभूषण बेचे थे तथा वाहन खरीदने के नाम पर अग्रिम धनराशि ली थी। शेष आभूषण देने के लिए उन्हें आजमगढ़ बुलाया गया था, लेकिन यहां आने पर पता चला कि सुनील जेल जा चुका है। पुलिस द्वारा चोरी के आभूषणों की खरीद-फरोख्त से संबंधित अन्य तथ्यों एवं संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. ओम प्रकाश खत्री पुत्र दीनानाथ खत्री, निवासी धुंधी कटरा, थाना कोतवाली शहर, जनपद मिर्जापुर, उम्र करीब 46 वर्षी
2. आशीष सोनी पुत्र सुरेश सोनी, निवासी कोरांव, थाना कोरांव, जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 27 वर्षी

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 240/2026, धारा 305(ए), 331(4), 317(2), 317(4) बीएनएस, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 04 अदद चोरी की चांदी की पायल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक जयप्रकाश यादव
2. उ0नि0 चिरांशु मिश्रा
3. का0 रवि मौर्य
4. का0 शाश्वत त्रिपाठी
5. का0 अभिषेक सिंह

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

➡️ □ आजमगढ़ पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं के अनावरण, अपराधियों की गिरफ्तारी तथा चोरी के माल की खरीद-फरोख्त में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी है।

प्रेस नोट, दिनांक: 17.10.2026, जनपद आजमगढ़

➡️ □ शारदीय नवरात्रि के दृष्टिगत मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत तहसील मार्टिनगंज, थाना दीदारगंज में पिक समाधान दिवस/मिशन शक्ति तहसील दिवस का आयोजन।

➡️ □ मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर की अध्यक्षता में महिला फरियादियों की समस्याएं सुनकर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश।

शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ के निर्देशन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के मार्गदर्शन में दिनांक 17.10.2026 को तहसील मार्टिनगंज, थाना दीदारगंज क्षेत्रान्तर्गत पिक समाधान दिवस/मिशन शक्ति तहसील दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार पटेल एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर आजमगढ़ श्री मानुष पारीक द्वारा की गई।

कार्यक्रम के दौरान महिला फरियादियों एवं आम नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों तथा प्रार्थना पत्रों को संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के साथ सुना गया। संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे पीड़ितों को त्वरित सहायता एवं न्याय मिल सके।

इस अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन एवं सशक्तीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा उनकी समस्याओं के प्रभावी समाधान पर विशेष बल दिया गया।

आजमगढ़ पुलिस महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रेस नोट

मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान

दिनांक: 17.10.2026, जनपद आजमगढ़

➡️ मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत आजमगढ़ पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन एवं सशक्तीकरण हेतु व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

➡️ जनपद के 26 थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबरों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

जनपद में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन एवं सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ के निर्देशन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के मार्गदर्शन में मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी मिशन शक्ति श्री पंकज श्रीवास्तव एवं पर्यवेक्षण अधिकारी क्षेत्राधिकारी लालगंज श्रीमती आस्था जायसवाल के नेतृत्व में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

अभियान के अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, ग्राम पंचायतों, बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण कर महिलाओं, बालिकाओं एवं आमजन को महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, महिला हेल्पलाइन 181, आपातकालीन सेवा 112, स्वास्थ्य सेवाओं हेतु 102 एवं 108 तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है।

मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का विवरण-

1. जनपद के कुल 26 थानों में जनजागरूकता एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किए गए।
2. कुल 94 ग्राम पंचायतों/वार्डों एवं स्कूल-कॉलेजों में 101 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
3. कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 2,106 महिलाओं, बालिकाओं एवं पुरुषों/छात्रों को जागरूक किया गया।
4. जागरूकता हेतु 1,502 प्रिंटेड सामग्री वितरित की गई तथा 20 ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई गई।
5. सार्वजनिक स्थलों पर स्टंटबाजी करने वाले 99 वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई।
6. एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा 70 स्थानों पर चेकिंग करते हुए 1,237 व्यक्तियों की जांच की गई। इनमें से 880 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई तथा 02 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 126/135/170 बीएनएसएस के अंतर्गत कार्रवाई की गई।
7. कुल 413 प्राइवेट टैक्सी/वाहनों की चेकिंग कर सत्यापन की कार्रवाई की गई।

आजमगढ़ पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा महिला अपराधों की रोकथाम हेतु जनजागरूकता एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी है।

प्रेस नोट

दिनांक: 17.10.2026, जनपद आजमगढ़

➡️ आजमगढ़ पुलिस की कार्रवाई में थाना जहानागंज एवं बरदह पुलिस द्वारा कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना रौनापार पुलिस ने साइबर फ्रॉड के पीड़ित को ₹19,775.41 वापस कराए।

➡️ थाना जहानागंज पुलिस ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

➡️ थाना बरदह पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को पकड़ा; थाना रौनापार पुलिस की साइबर टीम ने पीड़ित की धनराशि वापस कराई।

थाना जहानागंज: वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 20.09.2026 को थाना जहानागंज क्षेत्र के निवासी वादिनी ने अपनी करीब 15 वर्षीय पुत्री को आरोपी चन्दन पुत्र सुफेर द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया था। विवेचना के दौरान धारा 65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में दिनांक 17.10.2026 को उ०नि० गौरव सिंह मय हमराह पुलिस बल ने मुखबिर की सूचना पर परदेशी मोड़ के पास से वांछित अभियुक्त चन्दन पुत्र सुफेर, निवासी ग्राम मैनुद्दीनपुर, थाना जहानागंज, उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय भेज दिया।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 201/2026, धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट।

थाना बरदह: अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 16.10.2026 को उ०नि० राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह पुलिस बल ने ग्राम सरायमोहन स्थित बदनाम चाय की दुकान के पास से शिवम सरोज उर्फ प्रधान पुत्र राजेश सरोज, निवासी ग्राम सरायमोहन, थाना बरदह, उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .303 बोर एवं 01 जिन्दा कारतूस .303 बोर बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 332/2026, धारा 7/25 आर्म्स एक्ट, थाना बरदह।

थाना रौनापार: साइबर फ्रॉड के पीड़ित को ₹19,775.41 वापस कराए

थाना रौनापार क्षेत्र के ग्राम बैदौली निवासी जगदीश भारती के मोबाइल फोन की दिनांक 13.04.2026 को दिल्ली में चोरी हो गई थी। दिनांक 17.04.2026 को नया सिम चालू करने के बाद उनके बैंक खाते से ₹1,15,090/- निकल गए। पीड़ित द्वारा दिनांक 18.04.2026 को साइबर शिकायत संख्या 33104260085818 दर्ज कराई गई।

थाना रौनापार की साइबर टीम ने संबंधित बैंकों से समन्वय कर ₹95,653.61 की धनराशि विभिन्न खातों में होल्ड कराई। इसमें से ₹19,775.41 दिनांक 16.10.2026 को MRM पोर्टल के माध्यम से पीड़ित के खाते में वापस कराए गए। पुलिस के अनुसार, अब तक कुल ₹50,225.41 वापस कराए जा चुके हैं तथा शेष धनराशि वापस कराने की प्रक्रिया प्रचलित है।

पुलिस टीम- साइबर टीम, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध शस्त्रों के विरुद्ध कार्रवाई एवं साइबर अपराध पीड़ितों की धनराशि वापस कराने हेतु प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी है।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 17.10.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनक्वशन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा चोरी के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 9 माह 26 दिन) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें चोरी के आरोप में 1 आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 9 माह 26 दिन) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक-11.10.2024 को वादी मुकदमा अजय मिश्र पुत्र सुरेन्द्र नाथ मिश्र निवासी पटखौली थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित फर्द दी कि अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विनोद राजभर निवासी गौरी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरे घर का ताला तोड़कर कीमती जेवर व 2 लाख 17 हजार रु0 नगद चोरी कर लेना।

➡ अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-570/2024 धारा-331(4),317(2),317(4),305 BNS पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक-17.10.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो/गैंगेस्टर कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विनोद राजभर निवासी गौरी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 9 माह 26 दिन) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 17.10.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनक्वशन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा लूट के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

थाना बरदह में पंजीकृत अपराध जिसमें लूट के आरोप में अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया।

➡ दिनांक- 08.03.2015 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री जयचन्द भारती थाना बरदह जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी पुत्र रामधनी निवासी राजेपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर के द्वारा पट्टे में कीली लगाकर रास्ते ट्रक को पंचर कर डरा धमकाकर लूट लेना।

➡ अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरदह पर मु0अ0सं0-26/2015 धारा-399,401 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 7 गवाह परीक्षित हुए हैं।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक-17.10.2026 को मा0 न्यायालय एसजे/ एन्टीकorrप्शन(SPL) कोर्ट नं0-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी पुत्र रामधनी निवासी राजेपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।